न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी--राजेन्द्र विजय आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या--   02/2016

बउनवान

राजस्थान सरकार जरिये शिवजीराम जाट, प्रवर्तन निरीक्षक, बारां जिला–बारां (राज.)

(प्रार्थी)

बनाम

1–श्री जगदीश शर्मा, उचित मूल्य दुकानदार, वार्ड नं0 20, बारां शहर, जिला–बारां

2–श्री शिवमुरारी शर्मा, वाहन चालक व वाहन सं. आर. जे. 28 जी.ए.1720

3–थोक परिवहनकर्ता मै0 क्षितिज समूह सेवा संस्थान नाहरगढ़ तह0 किशनगंज, बारां प्रधान कार्यालय शिवकॉलोनी अस्पताल मार्ग, बारां

(अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 धारा, 6(ए) के तहत

उपस्थिति :--1. पेरोकार रसद **(प्रार्थी)**

2. श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक **(अप्रार्थी कम 1 व 3)**

निर्णय दिनांक-- 15.11.2021

1– प्रार्थी श्री शिवजीराम जाट, प्रवर्तन निरीक्षक, बारां ने इस्तगासा विरूद्व अप्रार्थीगण 1 ता 3 अन्तर्गत धारा, 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर इस्तगासे में अंकित किया है कि दिनांक 31.12.2015 को सांय 8.00 बजे भ्र टाचार निरोधक ब्यूरौ, बारां द्वारा दूरभाष पर प्राप्त सूचना पर हमराह जिला रसद अधिकारी, बारां भूतेश्वर महादेव मंदिर के पास अटरू रोड़, बारां पहुंचे। मौके पर एक पिकअप नं0 आर.जे.28 जी.ए. 1720 खड़ी मिली जिसमें 70 कट्टे एफ0सी0आई0 मार्का के मशीन से सिले हुये पाये गये, जो प्रथम दृष्टया राशन के गेंहू होना पाये गये। तलाशमय गाड़ी ड्राईवर के पास खाद्यान्न की बिल्टी मिली जो जगदीश शर्मा उ.मू.दूकानदार, बारां वार्ड नं0 20 की थी जो मौके पर जप्त की गई तथा ड्राईवर मौके से फरार हो गया। मौके पर जांच [illegible] पाया गया कि उक्त बिल्टी के अनुसार समय पर गेंहू राशन डीलर [illegible] पूछताछ करने पर उक्त ड्राईवर कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे [illegible] की चाबी छोड़ मौके से फरार हो गया। मौके पर ड्राईवर द्वारा दिये गये बयान के आधार पर उक्त गे[illegible]न डीलर श्री जगदीश शर्मा उचित मूल्य दूकानदार बारां, वार्ड नं0 20 के यहां [illegible] पहुँचकर कालाबाजारी में बेचने हेतु लेकर जा रहा था। इस संबंध मे दूरभाष पर वार्ता करने पर उचित मूल्य दूकानदार श्री जगदीश शर्मा द्वारा बताया गया कि वह अभी तो बाहर है तथा उसे इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.02.02 12:33:53 IST
Reason: SelfAttested

का पता नहीं है कि उसके यहां बिल काटकर गेहूं भिजवाया जा रहा है। मौके पर प्राप्त बिल सं. 5912 दिनांक 31.12.2015 जो कार्यालय प्रबन्धक नागरिक आपूर्ति, राराखनाआनि बारां द्वारा जारी किया गया था व बिल प्राप्ति रसीद पर उचित मूल्य दुकानदार के गेहूं प्राप्ति के हस्ताक्षर नहीं पाये गये। इस प्रकार गाडी ड्राईवर द्वारा उचित मूल्य दूकानदार श्री जगदीश शर्मा के नाम गेहूँ भरकर उसकी दुकान पर नहीं पहुँचाकर अवैध रूप से विक्रय करने हेतु ले जाते हुए पकडे जाने एवं ड्राईवर पिकअप गाडी छोडकर भाग जाने से प्रमाणित होता है कि उक्त 70 कट्टे गेहूँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली का होने तथा खुर्द बुर्द करने की नीयत से ले जाना आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 व राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 70 कट्टे गेंहू की गाडी को सुरक्षा की दृष्टि से महिला थाना बारां में खड़ा करवाया गया। दिनांक 2.1.2006 को पिकअप को धर्म काटे पर तुलवाया गया जिसमें गेहूँ का वजन 35.20 क्विंटल मय बारदाना पाये जाने पर, जप्तशुदा गेहूँ डीलर श्री भगवानसहाय शर्मा उचित मूल्य दुकानदार कलमण्डा की सुपुर्दगी में दिया जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की गयी। जप्तशुदा पिकअप नं0 आर.जे. 28 जी.ए. 1720 को थानाधिकारी, थाना सदर, बारां की सुपुर्दगी में दिया जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की गयी जो संलग्न प्रकरण है। अतः प्रकरण में जप्तशुदा गेहूँ वजनी 35.20 क्विंटल मय बारदाना एवं पिकअप नं0 आर.जे. 28 जी.ए. 1720 को धारा, 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत राजसात किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2— इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी क्रम 1 व 3 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुये तथा पृथक पृथक जवाब अप्रार्थीगण की ओर से निम्न आशय के पेश किये गये।

3— अप्रार्थी क्रम 1 की ओर से जवाब इस आशय का पेश हुआ कि उत्तरदाता क्रम 1 बारां शहर में वार्ड सं0 20 का उचित मूल्य दुकानदार है। उत्तरदाता दिनांक 31.12.2015 को प्रात 10.00 बजे अपने परिवार सहित कोटा गया हुआ था, कोटा से दिनांक 1.1.2016 को बारां आया था। दिनांक 31.12.15 से 1.1.16 तक उत्तरदाता क्रम 1 की उचित मूल्य दुकान व गोदाम बन्द थे, ताले लगे हुये थे। दिनांक 31.12.2015 को राशन का गेहूँ लेकर आया, राशन की दुकान बन्द होने से वापस चला गया, कोटा से घर आने पर घर वालो ने इस बारे में जानकारी दी गयी।

अप्रार्थी क्रम 3 की ओर से जवाब इस आशय के साथ पेश किया कि इस्तगासा में वर्णित तथ्यो की पूर्णतया जानकारी अप्रार्थी को न होने से सम्पूर्ण तथ्य असत्य एवं अस्वीकार है संस्था द्वारा विगत लम्बे समय से [illegible] नियमानुसार किया जा रहा है। परिवहन व्यवस्थान्तर्गत गेटपास बनाकर [illegible] चालक को उचित मूल्य दुकान तक पहुँचाने के लिए ही सम्भलाई जाती है [illegible] कार्यालय में इस कार्य हेतु समुचित कर्मचारियों की व्यवस्था कर रखी है। संस्था को [illegible] जानकारी 31.12.2015 को भी वाहन पिकअप नं0 आर.जे.28 जी.ए. 1720 को वाहन में लोड माल नियत डीलर जगदीश शर्मा बारां के यहां पहुँचाने के लिए बिल—बिल्टी सम्भलाई गई थी। वाहन के चालक ने बताया की

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.02.02 12:33:53 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

...ेश डीलर की दुकान पर गया परन्तु उसके न मिलने पर वाहन वापस लाकर एफसीआई गोदाम के पास शिवम् तोल काटे पर लाकर खड़ा किया ही था, जहां से जबरदस्ती वाहन व उसे ले जाया गया व झूठा आलिप्त किया गया। अप्रार्थी संस्था को अनावश्यक रूप से आलिप्त किया गया है जबकि उनको कार्य भाडा परिवहन का है। संस्था द्वारा कोई अनुचित कृत्य नहीं किया गया है न ही आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के उल्लघंन में कोई कृत्य किया गया है। रजिशवंश संस्था को बदनाम करने का झूठे आलिप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में अनावश्यक पक्षकार बनाये जाने व झूठे आलिप्त किये जाने के कारण संस्था का नाम प्रकरण से डिलीट कर, समस्त कार्यवाही ड्रोप फरमावें।

अप्रार्थी कम 2 ने सीधे ही जवाब इस आशय का पेश किया कि इस्तगासे में तथ्य असत्य व झूठे अंकित किये गये है अप्रार्थी वाहन चालक दिनांक 31.12.2015 को वाहन को उसे सम्भलाई गई बिल व बिल्टी के अनुसार जगदीश शर्मा उचित मूल्य दुकानदार बारां वार्ड नं0 20 में पहुँचाने गया था जिसके न मिलने पर शाम 7–7.30 बजे के लगभग वाहन वापस लाकर एफसीआई गोदाम के पास तोल काटे पर लाकर खडा किया था जहॉ से वाहन चालक व वाहन को बिल व बिल्टी बताने के बावजूद जबरदस्ती भूतेश्वर मंदिर अटरू रोड बारां ले जाया गया था जिसका सम्पूर्ण विवरण वाहन चालक द्वारा प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी के साथ दिये गये शपथ पत्र में दिया गया है। अप्रार्थी के विरूद्ध झूठे व मनगठंत आरोप लगाये गये है जबकि वह मौके पर से फरार नहीं हुआ न ही उसके कोई बयान लिये गये न ही वह किसी प्रकार की कालाबाजारी में लिप्त रहा है। कुछ लोगो की ट्रान्सपोर्ट ठेकेदार से रंजिश के चलते अनावश्यक रूप से वाहन चालक व वाहन को उक्त प्रकरण में झूठा लिप्त करने का प्रयास किया गया है वाहन एवं वाहन चालक द्वारा किसी प्रकार से आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों को उल्लघंन में कोई कार्य नहीं किया गया है। अतः अप्रार्थी वाहन चालक एवं वाहन की प्रकरण में सही व निष्पक्ष जाच करते हुये उन्मोचित करने का निवेदन किया गया।

4— प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर बहस विद्वान पेरोकार रसद व अप्रार्थीगण के अभिभाषक की सुनी गयी।

5— बहस के दौरान प्रार्थी पेरोकार रसद ने इस्तगासा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि जब्तशुदा गेंहू 35.20 क्विं. मय बारदाना का अंतरिम निस्तारण श्रीमान् के आदेशानुसार किया जाकर प्राप्त राशि अमानत मद में जमा करवाई जा चुकी है। जप्तशुदा पिकअप नं0 आर.जे. 28 जी.ए. 1720 को थानाधिकारी, थाना सदर, बारां की सुपुर्दगी में दिया गया जिसे जमानत पर सशर्त छोड़ने के आदेश प्र... संलग्न प्रार्थना पत्र प्र.सं. 19/2016 में दिनांक 28.01.2016 के कम में ... गया। अतः प्रकरण में जप्तशुदा गेहूँ वजनी 35.20 क्विंटल मय बारदाना ... 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत राजसात किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.02.02 12:33:53 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

दौराने बहस अप्रार्थीगण अभिभाषक ने प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते [illegible]दन किया कि अप्रार्थी कम 1 बारां शहर में वार्ड सं0 20 का उचित मूल्य दुकानदार है। [illegible]रदाता दिनांक, 31.12.2015 को प्रात 10.00 बजे अपने परिवार सहित कोटा गया हुआ था, [illegible]टा से दिनांक 1.1.2016 को बारां आया था। दिनांक 31.12.15 से 1.1.16 तक अप्रार्थी कम 1 की उचित मूल्य दुकान व गोदाम बन्द थे, ताले लगे हुये थे। दिनांक 31.12.2015 को राशन का गेहूँ लेकर आया. राशन की दुकान बन्द होने से वापस चला गया, कोटा से घर आने पर घर वालो ने इस बारे में जानकारी दी गयी । अतः समस्त कार्यवाही निरस्त फरमावें।

साथ ही अप्रार्थी कम 3 की ओर से अभिभाषक ने दोराने बहस जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया है कि इस्तगासा में वर्णित तथ्यो की पूर्णतया जानकारी अप्रार्थी को न होने से सम्पूर्ण तथ्य असत्य एवं अस्वीकार है संस्था द्वारा विगत लम्बे समय से पूर्णनिष्ठा नियमानुसार किया जा रहा है। परिवहन व्यवस्थान्तर्गत गेटपास बनने पर बिल–बिल्टी सम्बन्धित वाहन चालक को उचित मूल्य दुकान तक पहुँचाने के लिए ही सम्भलाई जाती है संस्था कार्यालय में इस कार्य हेतु समुचित कर्मचारियों की व्यवस्था कर रखी है। संस्था को प्राप्त जानकारी 31.12.2015 को भी वाहन पिकअप नं0 आर.जे.28 जी.ए. 1720 को वाहन में लोड माल नियत डीलर जगदीश शर्मा बारां के यहां पहुँचाने के लिए बिल–बिल्टी सम्भलाई गई थी। वाहन के चालक ने बताया की जगदीश डीलर की दुकान पर गया परन्तु उसके न मिलने पर वाहन वापस लाकर एफसीआई के गोदाम के पास शिवम् तोल काटे पर लाकर खड़ा किया ही था, जहां से जबरदस्ती वाहन को व उस ले जाया गया व झूठा आलिप्त किया गया। उक्त प्रकरण में अनावश्यक रूप से पक्षकार बनाये जाने पर सम्पूर्ण कार्यवाही ड्रोप फरमाने का निवेदन किया।

7– हमने पेरोकार रसद व अप्रार्थीगण अभिभाषक की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेजात् का आद्योपांत अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, बारां हमराह श्री शंकरलाल जिला रसद अधिकारी, बारां द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर भूतेश्वर महादेव मंदिर के पास अटरू रोड़ बारां में पहूँचकर दिनांक 31.12.2015 को मौके पर जॉच करने पर पाया कि "जप्त गेहूँ वजनी 35.20 क्विंटल मय बारदाना एवं पिकअप नं0 आर.जे. 28 जी.ए. 1720 उचित मूल्य दुकानदार श्री जगदीश शर्मा के नाम से गेहूँ भरकर उसकी दुकान पर नहीं पहुँचकार अवैधरूप से विकय करने हेतु ले जाते हुये पकड़े तथा पिकअप गाडी छोड़कर भाग जाने से प्रमाणित होता है कि उक्त 70 कट्टे गेहूँ कालाबाजारी में बेचे जाने के नियत से ले जा रहे थे । प्रार्थी द्वारा जब्तशुदा गेंहू 35.20 क्विं. मय बारदाना एवं पिकअप सं0 28 जी.ए. 172[illegible] हेतु इस्तगासा पेश किया है, जो उचित प्रतीत होता है। पिकअप सं0 28 जी.ए. 1720 [illegible] वाहन प्रकरण संख्या 19/2016 में पारित आदेश दिनांक 28.01.20[illegible] कुमार नागर द्वारा सुपुर्दगी हेतु सुपुर्दगीनामा तादादी राशि 400[illegible] रूपये) पेश करने पर सुपुर्द किया जा चुका है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.02.02 12:33:53 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

परिणामस्वरूप, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में ज़ब्तशुदा गेंहू 35.20 क्विं. मय बारदाना को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, बारां को आदेश दिये जाते है कि जब्तशुदा गेंहू की राजकीय अमानत मद में जमाशुदा राशि विभागीय नियमानुसार निस्तारण कर प्राप्त आय को निर्धारित विभागीय मद में जमा करावें।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र विजय)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.02.02 12:33:53 IST
Reason: SelfAttested